भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 30

उत्तर देने की तारीख: 03.02.2020

एमडीएमएस के लिए कार्यरत एनजीओ

30. श्री जी. सेल्वमः

श्री गौतम सिगामणि पोनः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्री रेबती त्रिपुराः

श्री धनुष एम. कुमारः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनजीओ मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के तहत केंद्रीयकृत रसोई के माध्यम से विद्यालयों को भोजन प्रदान कर रहे हैं और यदि हां, तो उनकी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कवर किए गए विशेष रूप से तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के सन्दर्भ में ग्रामीण और शहरी विद्यालयों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनजीओ की केंद्रीकृत रसोई से एकत्र किए गए नमूने निर्धारित मानकों और पोषक मूल्यों के अनुपालन में पाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने में लगे एनजीओ ने इस योजना को लाभ कमाने की योजना में बदल दिया है और यह योजना उद्देश्य से भटक गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन तैयार करने में एनजीओ की भूमिका को समाप्त करने पर विचार कर रही है और यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा गुणवत्ता और पोषण बनाए रखने के लिए प्रत्येक माह मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा अनिवार्य रूप से मध्याह्न भोजन की जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएमएस) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जा रही है। पात्र बच्चों को पका हुआ पौष्टिक मध्याह्न भोजन प्रदान करने का समग्र दायित्व राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों का है। राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकारें स्कूलों के चिन्हित क्लस्टरों के लिए केंद्रीयकृत रसोइयों में भोजन तैयार करने के लिए एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों को अनुबंधित करती हैं। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों को नियुक्त किया है। तमिलनाडु राज्य ने स्कूलों में भोजन प्रदान करने के लिए किसी एनजाओ को अनुबंधित नहीं किया है। योजना के तहत एनजीओ द्वारा कवर किए गए ग्रामीण और शहरी स्कूलों की संख्या और राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुबंधित एनजीओ के ब्यौरे संलग्नक-I में है।

(ग) से (च): भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को गुणवत्ता मुद्दे के समाधान के लिए स्कूल स्तर रसोइयों में गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था है कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को खाद्य सुरक्षा और प्रदूषण के लिए एमडीएम के सैंपलों का परीक्षण शुरू करने के लिए सीएसआईआर संस्थानों/एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं और एफएसएसएआई प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को अनुबंधित करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा, एमडीएम नियमावली, 2015 में भोजन पोषक मानकों और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन सैंपलों की अनिवार्य परीक्षण करने की व्यवस्था है। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनजीओ द्वारा कवर किए गए स्कूलों से 1483 सैंपल एकत्रित किए गए हैं और सभी योजना के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। इन सैंपलों के राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्नक-II पर हैं।

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को एनजीओ जिन्होंने योजना को देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी प्रक्रिया बनाया है, को अनुबंधित करने के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है। मध्याह्न भोजन योजना में सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुबंधित करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमडीएमएस के तहत सीएसओ/एनजीओ को लाभकारी दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के क्लस्टर या चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों, जिनकी अच्छी सड़क संपर्कता है, गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति हेतु अनुबंधित किया जा सकता है।

*****

संलग्नक-I

एमडीएमएस के लिए कार्यरत एनजीओ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. सेल्वम, श्री गौतम सिगामणि पोन, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्री रेबती त्रिपुरा और श्री धनुष एम. कुमार द्वारा दिनांक 03.02.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत एनजीओ द्वारा कवर किए गए ग्रामीण और शहरी स्कूलों की संख्या और अनुबंधित एनजीओ के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एमडीएम उपलब्ध कराने वाले एनजीओ की संख्या	जिलों की संख्या जहां एनजीओ, एमडीएम प्रदान कर रहे हैं।	एनजीओ द्वारा कवर स्कूलों की संख्या		
				ग्रामीण	शहरी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	7	13	3575	1358	4933
2	असम	1	2	402	143	545
3	बिहार	6	12	856	1842	2698
4	छत्तीसगढ़	5	5	0	681	681
5	दादरा और नगर हवेली	1	1	265	15	280
6	दमन और दीव	1	1	47	15	62
7	दिल्ली	52	13	0	2951	2951
8	गुजरात	3	9	1959	1443	3402
9	हरियाणा	1	4	1520	407	1927
10	झारखंड	1	2	176	200	376
11	कर्नाटक	66	13	2361	2458	4819
12	मध्य प्रदेश	23	19	0	3740	3740
13	महाराष्ट्र	4	10	789	2605	3394
14	ओडिशा	6	12	2466	952	3418
15	राजस्थान	3	9	2291	1705	3996
16	तेलंगाना	2	7	1160	938	2098
17	उत्तर प्रदेश	112	26	4634	2888	7522
	कुल	**294**	**158**	**22,501**	**24341**	**46,842**

*****

संलग्नक-II

एमडीएमएस के लिए कार्यरत एनजीओ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जी. सेल्वम, श्री गौतम सिगामणि पोन, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्री रेबती त्रिपुरा और श्री धनुष एम. कुमार द्वारा दिनांक 03.02.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (ग) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

मध्याह्न भोजन योजना के तहत एनजीओ द्वारा कवर किए गए स्कूलों में एकत्रित सैंपलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	एमडीएम उपलब्ध कराने वाले एनजीओ की संख्या	एनजीओ द्वारा कवर किए गए स्कूलों से एकत्रित सैंपलों की संख्या	मानकों के अनुरूप पाए गए सैंपलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	7	0	0
2	असम	1	12	12
3	बिहार	6	29	29
4	छत्तीसगढ़	5	10	10
5	गुजरात	3	78	78
6	हरियाणा	1	68	68
7	झारखंड	1	0	0
8	कर्नाटक	66	95	95
9	मध्य प्रदेश	23	12	12
10	महाराष्ट्र	4	42	42
11	ओडिशा	6	2	2
12	राजस्थान	3	12	12
13	तेलंगाना	2	41	41
14	उत्तर प्रदेश	112	156	156
15	दादरा और नगर हवेली	1	0	0
16	दमन और दीव	1	0	0
17	दिल्ली	52	926	926
	कुल	294	1483	1483

*****